जागरुकता विकास श्रृंखला 15

सौ दिन सुनहरे

(राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्यप्रदेश)

राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, इंदौर, म.प्र.

जागरुकता विकास शृंखला 15

सौ दिन सुनहरे

कोड नं.	:	004 (सतत शिक्षा)
प्रस्तुति	:	सीमा व्यास
चित्रांकन	:	दीपक मालवी
संस्करण	:	प्रथम, जनवरी, 2009
प्रतियाँ	:	500
मूल्य	:	रुपये 10.00

© प्रकाशकाधीन

प्रकाशक : राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा
भारतीय ग्रामीण महिला संघ,
महालक्ष्मीनगर, सेक्टर आर, इंदौर-452010, म.प्र.
फोन- 2551917, 2574104 फैक्स- 0731-2551573

e-mail: srcmpindore@gmail.com
literacy@sify.com
Web: www.srcindore.org

मुद्रक : कुणाल ऑफसेट

आमुख

बेरोजगारी गाँव, शहर सभी जगह की मुख्य समस्या है। शहरों में बेरोजगारी के कारण जहाँ अपराध बढ़ते हैं वहीं गाँवों में पलायन की समस्या उभरकर आती है।

ग्रामीण लोगों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार ने पहल की है। सरकार ने पूरे देश में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' आरंभ की है। इसके तहत हर गरीब ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम सौ दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा।

प्रस्तुत पुस्तिका **'सौ दिन सुनहरे'** में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की विस्तृत जानकारी दी गई है। पुस्तिका हेतु लेखन कार्य केन्द्र की कार्यक्रम सहायक **श्रीमती सीमा व्यास** ने किया है। चित्रांकन **श्री दीपक मालवी** द्वारा किया गया है।

केन्द्र इनके प्रति आभार व्यक्त करता है। पुस्तिका के संबंध में आपके सुझावों का स्वागत रहेगा।

कुन्दा सुपेकर
निदेशक
राज्य संसाधन केन्द्र,
प्रौढ़ शिक्षा, इंदौर, म.प्र.

सौ दिन सुनहरे

(राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्यप्रदेश)

भारत गाँवों का देश है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है। गाँव के अधिकांश लोग मजदूरी करते हैं। हर मजदूर चाहता है उसे रोजगार मिले। किन्तु गाँवों में लोगों को नियमित मजदूरी नहीं मिल पाती है। कुछ अवसर आते हैं तो ठेकेदार उनका लाभ उठा लेते हैं। मजदूर बेरोजगार और भूखे रहने को मजबूर हो जाता है।

सरकार ने गाँव के गरीब लोगों को मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम से गाँव के हर वयस्क मजदूर के परिवार को साल में 100 दिन रोजगार मिलेगा। परिवार अपनी मेहनत की कमाई से अपना गुजारा कर सकेगा। उनके मजदूरी के अवसरों को ठेकेदार नहीं छीन सकेगा। यह योजना 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के नाम से पूरे देश में चलाई जा रही है। यह योजना 'राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2004' के आधार पर बनाई गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2004 का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्र के परिवार के वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की निश्चित मजदूरी उपलब्ध कराना है। योजना का आरंभिक चरणों में 200 जिलों में लागू किया गया।मध्यप्रदेश में इस योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2004 से किया जा चुका।

प्रथम चरण (2006) में शामिल जिले : झाबुआ, मण्डला, उमरिया, शहडोल, बड़वानी, खरगोन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट, धार, छतरपुर, बैतुल, खण्डवा, श्योपुर, सिवनी, सतना, डिण्डौरी।

द्वितीय चरण (2007) में शामिल जिले : अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, दमोह, देवास, गुना, हरदा, कटनी, पन्ना, राजगढ़, रीवा तथा

तृतीय चरण (2008) में शामिल जिले : शेष सभी जिले सीहोर, रायसेन, भिण्ड, भोपाल, होशंगाबाद, मुरैना, विदिशा, सागर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर।

योजना के उद्देश्य

- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गाँवों में अकुशल मजदूरों का

साल में 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना है ताकि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

- इन 100 दिवसों का रोजगार एक परिवार को मिलेगा न कि परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को। यानी सरकार का प्रयास यह है कि प्रत्येक परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
- रोजगार वयस्क व्यक्ति को दिया जाएगा यानी उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। महिला व पुरुष दोनों को बराबरी से काम दिया जाएगा।

योजना के लाभार्थी

योजना के लाभार्थी वे सभी व्यक्ति हैं–

- जो गाँवों में रहते हों,
- जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो,
- जो अकुशल काम करने के लिए तैयार हों।

रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया

- ग्रामीण परिवार के अकुशल श्रम करने वाले वयस्क सदस्यों को सबसे पहले ग्राम पंचायत में पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा।

पंजीयन में व्यक्ति का नाम, उम्र, पता आदि लिखा जाता है।

- ग्राम पंचायत जरूरी छानबीन के बाद पंजीयन करेगी।
- पंजीयन के बाद ग्राम पंचायत परिवार को रोजगार पत्र (जॉब कार्ड) बनाकर देगी। जॉब कार्ड में परिवार के वयस्क सदस्यों की फोटो भी लगाई जाएगी।
- यह पंजीयन योजना के लागू रहने तक यानी कम से कम पाँच साल की अवधि के लिए होगा। समय-समय पर इसका नवीनीकरण भी किया जाएगा।

- पंजीयन के बाद परिवार पंचायत से रोजगार की मांग कर सकता है। इसके लिए पंचायत में आवेदन देना होगा। आवेदन कम से कम 14 दिनों के निरन्तर कार्य करने के लिए किया जाना चाहिए।
- पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराए। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- पंचायत यह भी ध्यान रखेगी कि कुल पंजीयनों में से कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की हो।
- ग्राम पंचायत से रोजगार उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी को रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। कार्यक्रम अधिकारी, कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत होते हैं।
- किसी व्यक्ति द्वारा पंजीयन के समय गलत जानकारी देने पर कार्यक्रम अधिकारी को सूचित कर पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।

रोजगार पत्र (जॉब कार्ड)

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि रोजगार हेतु ग्राम पंचायत में पंजीयन कराया जाएगा। पंजीयन के बाद पंचायत उस परिवार को 'जॉब कार्ड' जारी करेगी। इसमें परिवार के वयस्क व्यक्तियों के फोटो भी होंगे। इसमें परिवार की पंजीयन संख्या भी लिखी होगी।

यह कार्ड पाँच वर्षों के लिए मान्य होगा। 'जॉब कार्ड' होने पर ही रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, इसके बिना नहीं। इस कार्ड का उपयोग रोजगार की मांग करने के लिए किया जाएगा। यह 'जॉब कार्ड' पंचायत द्वारा निःशुल्क बनाया जाएगा। यह कार्ड उस व्यक्ति/परिवार के पास ही रहेगा, जिसका कार्ड है।

करवाए जाने वाले कार्य

योजना के अंतर्गत निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाए जा सकते हैं–

- जल संरक्षण एवं संवर्धन।
- वृक्षारोपण/वन रोपणी व सूखा रोकने से संबंधित कार्य।
- सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य।

- परम्परागत जल संरचनाओं का पुनर्रुद्धार करना।
- तालाबों की गाद निकालना।
- भूमि सुधार एवं इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राही परिवारों को निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
- भूमि का विकास
- बाढ़ नियंत्रण/सुरक्षा, जल जमाव क्षेत्रों में जल निकासी कार्य।
- बारहमासी सड़कों के रूप में ग्रामीण संपर्क सड़क बनाना।

- राज्य सरकार की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा अन्य कार्य जो अधिसूचित किए जाएं।

मजदूरी की दर व भुगतान प्रक्रिया

- मजदूरी का भुगतान श्रमायुक्त द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी की दर से या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से दी जाएगी।
- मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किया जाएगा। यह भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में किया जाएगा। किसी भी स्थिति में मजदूरी के भुगतान में 15 दिन से ज्यादा की देरी नहीं होगी।

- आवेदक को उसके निवास से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार दिया जाएगा। यदि रोजगार 5 किलोमीटर की सीमा से बाहर दिया जाता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत आने-जाने व अन्य व्यवस्था के लिए दिया जाएगा।

रोजगार न मिलने पर भत्ता

यदि किसी आवेदक को आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ते की पात्रता होगी। बेरोजगारी भत्ता पहले तीस दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई तथा शेष दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के आधे

की दर से दिया जाएगा।

इन स्थितियों में बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार का दायित्व समाप्त हो जाता है-

- आवेदक को या उसके घर के एक वयस्क सदस्य को कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
- वह अवधि, जिसके लिए कार्य चाहा गया है, समाप्त हो जाती है या कोई सदस्य कार्य के लिए नहीं आता है।
- आवेदक या उसके घर के वयस्क सदस्यों ने उस वित्तीय वर्ष में सौ दिनों का कार्य प्राप्त कर लिया हो।
- आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों ने मजदूरी और बेकारी भत्ता दोनों मिलाकर उतना प्राप्त कर लिया है जो सौ दिनों की मजदूरी के बराबर है।

कार्य हेतु शर्तें

कार्य की कुल लागत का 40 प्रतिशत व्यय ही कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय किया जाएगा।

- ठेकेदारी प्रथा पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

- जो काम श्रमिक कर सकते हों उनके लिए मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- नया काम उसी स्थिति में लिया जाएगा जब उस काम के लिए कम से कम 50 मजदूर उपलब्ध हों या पहले से चल रहे कामों में और अधिक रोजगार देना संभव न हो।

कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएँ

मजदूरों हेतु कार्य स्थल पर निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी-

- पीने का पानी।
- प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री।
- मजदूरों के 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर झूलाघर की व्यवस्था।
- काम के दौरान मजदूर के घायल होने पर उसे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा।
- काम के दौरान मृत्यु हो जाने या स्थायी अपंगता आ जाने पर 25,000/- या राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान।
- महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु हितग्राहियों में एक तिहाई महिलाओं को रोजगार।

योजना क्रियान्वयन में ग्राम, जनपद व जिला पंचायतों की भूमिका

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सफल क्रियान्वयन हो सके इस उद्देश्य से सरकार ने पंचायतों की भूमिका निर्धारित की है। ग्राम, जनपद व जिला पंचायतों की भूमिका इस प्रकार है-

ग्राम पंचायत

- ग्राम पंचायत, पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों का पंजीयन करेगी।

- पंजीयन के बाद परिवारों को रोजगार पत्र (जॉब कार्ड) जारी करेगी।
- रोजगार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करेगी। रोजगार हेतु कार्यस्थल पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित करेगी।
- ग्राम सभा की सिफारिशों के अनुसार किए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव तैयार करेगी। इसमें किए जा सकने वाले काम तथा रोजगार की मांग के संबंध में पूरी जानकारी होगी। ग्राम पंचायत क्षेत्र में किए जा रहे कामों की देखरेख करेगी।
- निर्धारित अभिलेखों को तैयार करना। जैसे– पंजीकृत परिवारों का विवरण, रोजगार पत्र (जॉब पत्र कार्ड) वितरण रजिस्टर आदि। इन अभिलेखों को निर्धारित प्रपत्र में बनाया जाएगा।
- कार्यक्रम अधिकारी (सी.ई.ओ. जनपद पंचायत) द्वारा मंजूर किए गए कार्य कराएगी।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु तैयार किए गए विभिन्न कामों को प्राथमिकता के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी को भेजेगी।

जनपद पंचायत की भूमिका

- ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अपनी योजना तैयार करेगी।
- योजना को अनुमोदित कराने के बाद जिला पंचायत को भेजेगी।
- जनपद और ग्राम स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की देखरेख और निगरानी करेगी।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों को पूरा करेगी।

जिला पंचायत की भूमिका

- जनपद स्तर पर तैयार किए गए प्रस्तावों का अनुमोदन करना।
- जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर किए जाने वाले कामों की देखरेख और निगरानी।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों को पूरा करना।

क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार अधिकारी व उनके कार्य

इस अधिनियम का नियमित रूप से क्रियान्वयन करने के लिए सरकार राज्य में राज्य परिषद का गठन करेगी। इसमें 01 अध्यक्ष

व लगभग 15 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इनमें से एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्प संख्यकों के होगें। राज्य परिषद निम्न कार्य करेगी-

- राज्य में योजना के क्रियान्वयन संबंधी सभी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- समय-समय पर मॉनीटरिंग तंत्र का अवलोकन करना व सुधारा की सिफारिश करना।
- इस अधिनियम व इससे जुड़ी अन्य योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।
- राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्य

इस योजना के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक की होगी। इनके कार्य निम्नानुसार रहेंगे-

- जनपद पंचायत से प्राप्त कार्ययोजनाओं को संकलित कर जिला पंचायत के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।
- जिले के लिए वित्तीय वर्ष में आवश्यक मजदूरी का बजट तैयार

कर जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना।

- किए जाने वाले कार्यों हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना।
- कार्यक्रम अधिकारी से समन्वय कर रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- किए जाने वाले कार्यों का पुनरीक्षण, मॉनीटरिंग व फॉलोअप करना।
- शिकायतों का निराकरण करना।
- प्रतिवर्ष लेखा बजट तैयार कर वित्तीय मांग राज्य शासन/म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद को देना।

कार्यक्रम अधिकारी के कार्य

- जनपद पंचायत को योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देना।
- आवेदकों की मांग के अनुरूप रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जनपद स्तर की योजना तैयार करना तथा जनपद पंचायत से उसका अनुमोदन करना।
- चल रही योजनाओं का पर्यवेक्षण व मॉनीटरिंग करना।

- बेरोजगारी भत्ते स्वीकृत करना और भुगतान सुनिश्चित करना।
- समय पर मजदूरी का भुगतान हो यह सुनिश्चित करना।
- किए जाने वाले कार्यों के नियमित सामाजिक अंकेक्षण को सुनिश्चित करना।
- काम के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण करना।
- जनपद स्तर पर लेखा बजट तैयार करके वित्तीय मांग जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजना।

राशि का व्यवस्थापन

केन्द्र सरकार द्वारा

- अकुशल मजदूरों के लिए दी जाने वाली संपूर्ण राशि।
- सामग्री की लागत की तीन चौथाई (3/4) राशि (इसमें कुशल व अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी भी शामिल है।)
- योजना की कुल लागत का केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासकीय खर्चों के लिए तय किया गया प्रतिशत (इसमें कार्यक्रम अधिकारियों व सहायक कर्मचारियों के वेतन भत्ते सम्मिलित हैं।)

राज्य सरकार द्वारा

- योजना के तहत दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते की राशि।
- सामग्री लागत की एक चौथाई राशि। (इसमें कुशल अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी भी सम्मिलित है।)
- राज्य परिषद का प्रशासकीय खर्च।

योजना में आमजन की भागीदारी

- कार्यक्रम की देखरेख करने के उद्देश्य से गाँव में स्थानीय निगरानी एवं सतर्कता समितियाँ गठित की जाएगी। इसमें स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाएगा।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। जनता की मांग पर उसकी एक प्रति निर्धारित फीस लेकर देंगे।
- योजना से संबंधित सभी अभिलेख जनता को देखने के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनकी प्रति निर्धारित फीस जमा करके प्राप्त की जा सकती हे।

- योजना में किए जाने वाले कार्यों के मस्टर रोल की प्रति ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत में अवलोकन के लिए रखी जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित फीस देकर इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

शिकायतों का निराकरण

शिकायतों का निराकरण जिला व जनपद पंचायत स्तर पर किया जाएगा। निम्नलिखित मामलों में शिकायत की जा सकती है–

- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रोजगार उपलब्ध न करा पाना,
- बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न होना,
- मजदूरी का भुगतान न होना या कम भुगतान होना,
- कार्य स्थल पर सुविधाओं का अभाव,
- कार्य हेतु मशीन तथा ठेकेदार का उपयोग होना,
- महिलाओं के साथ भेदभाव आदि।

शिकायत जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिला स्तर पर कलेक्टर से की जा सकती है।

❑

जागरूकता संबंधी हमारे प्रकाशन

- सहोदरा
- प्राथमिक उपचार
- भूल
- सुरक्षित मातृत्व
- आहार और जीवन
- जब जागे तभी सबेरा
- विनोद की वापसी
- वाह उस्ताद जयराम
- पौष्टिक व्यंजन
- गुड़ाखू की कहानी
- दांव
- गोकरण का विवाह
- माँ की ममता
- सेहत का मूलमंत्र
- सफाई से सेहत
- बीमारियां क्यों?
- शांति चली ससुराल
- हमारी दुनिया
- ग्रामीण पेयजल योजना
- स्वच्छ शौचालय
- स्वास्थ्य योजनाएँ
- सुरक्षित मातृत्व
- घरेलू उपचार
- बीमा योजनाएँ
- सूरज का कमाल
- कमजोरी का स्वयंवर
- कूड़े कचरे का निपटारा
- कूड़े कचरे से सोना
- प्रमुख बीमारियाँ
- पशुओं से होने वाली बीमारियाँ
- यातायात के नियम
- दिखावा
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम
- सूझबूझ
- रोजगार योजनाएँ

प्रकाशक

राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर, म.प्र.

महालक्ष्मीनगर, सेक्टर आर, इन्दौर- 452010 (म.प्र.)

फोन- 2551917, 2574104 फैक्स- 0731-2551573